वान ..... बनाम .....

..... मुकदमा नं. ..... ऑनलाईन नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
2/09/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप0। वकील प्रार्थी द्वारा जमाबंदी पेश की बहस पत्रावली पर सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रसतु किया है कि अप्रार्थी ने विवदित भूमि को कृषि कार्य के स्थान पर अकृषि कार्य किया जा रहा है तथा अप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य कर शर्त भंग करने का कार्य किया है अतः वादग्रस्त भूमि को रास्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 के अर्न्तगत सिवायचक घोषित कर प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत मुताबिक जमाबन्दी वर्तमान विवादित भूमि ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा कोटा राज0 ख0न0 3368/884 रकबा 1.15 हेक्टे0 ,भूमि पूर्व में अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि थी जिसपर वर्तमान में 90 ए की कार्यवाही की जाकर नगरपालिका इटावा जिला कोटा राज0 के खाते दर्ज की जा चुकी है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की 90 –क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन गैर कृषिक प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए वाछित 90 –क की कार्यवाही हेतु नगरपालिका इटावा जिला कोटा राज0 में कार्यवाही पूर्ण होकर वाद में वर्णित आराजी वर्तमान में आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ अकृषि कार्य के लिए सम्परिवर्तित की जा चुकी है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि 90 –क की कार्यवाही हेतु नगरपालिका इटावा जिला कोटा राज0 में कार्यवाही पूर्ण होकर वर्तमान में आवासीय कालोनी प्रयोजनार्थ अकृषि कार्य के लिए सम्परिवर्तित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कोई औचित्य नहीं रह जाता तथा प्रार्थी का प्रा0 पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता ह। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो । उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।	